

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आंव./ICDS/18/202.493-500

जयपुर,दिनांक:
27-11-18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
.....।

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-30
2236- पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197- ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(03)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम द्वारा
[02]- ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय जनजाति क्षेत्र उपयोजना (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क. सं.	नाम कार्यालय	उपमद	बजट मद	पूर्व आवंटन	अति. आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	बाविपअ, घाटोल	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	10.00	5.00	15.00
			राज्य निधि	30.00	15.00	45.00
2	.. आसपुर	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	10.00	4.00	14.00
			राज्य निधि	30.00	12.00	42.00
		37. वर्दी व्यय	राज्य निधि-ब	0.0165	0.018	0.0345
		42. प्रोत्साहन एवं मानदेय	केन्द्रीय सहायता	80.46	30.00	110.46
			राज्य निधि	53.64	20.00	73.64
3	.. बिछीवाडा I	01 संवेतन	केन्द्रीय सहायता	20.00	5.00	25.00
			राज्य निधि	60.00	15.00	75.00
			राज्य निधि-ब	40.00	5.00	45.00
4	.. प्रतापगढ I	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	20.00	10.00	30.00
			राज्य निधि	60.00	30.00	90.00
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
5	.. अरनोद	01 संवेतन	केन्द्रीय सहायता	10.00	5.00	15.00
			राज्य निधि	30.00	15.00	45.00
			राज्य निधि-ब	40.00	5.00	45.00
		03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0.15	0.04	0.19
			राज्य निधि	0.45	0.12	0.57
			राज्य निधि-ब	0.08	0.00	0.08
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
		42. प्रोत्साहन एवं मानदेय	केन्द्रीय सहायता	50.22	30.00	80.22
			राज्य निधि	33.48	20.00	53.48
			राज्य निधि-ब	92.40	8.00	100.40
6	.. झाडौल	20. वाहन संधारण	केन्द्रीय सहायता	0.36	0.06	0.42
			राज्य निधि	0.24	0.04	0.28
7	.. आबूरोड ग्रा.	01 संवेतन	केन्द्रीय सहायता	20.00	- 5.00	15.00
			राज्य निधि	60.00	- 15.00	45.00

1	2	3	4	5	6	7
8	„ बिछीवाडा II	01 संवेतन	केन्द्रीय सहायता	16.50	- 4.06	12.44
			राज्य निधि	70.00	- 10.37	59.63

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग आरटीपीपी एक्ट 2012, आरटीपीपी रूल्स 2013 एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमांक:-एफ-2()बजट/अति.आंव./ICDS/18/202501-506
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, संबंधित।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार

जयपुर, दि: 27-11-18

वित्तीय सलाहकार